

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुझुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- श्री राम सिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर:- 17/2021

जी0सी0एम0एस0 :-2021/31

1. नल्लू सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह जाति राजपूत निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनू।

प्रार्थी

बनाम

1. कुरडीया पुत्र गोरिया जाति मेघवाल निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनू।
2. महेश कुमार पुत्र मातुराम जाति मेघवाल निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनू।
3. फुलाराम पुत्र सुरजदास जाति मेघवाल निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनू।
4. बन्नाराम पुत्र सुरजनदास जाति मेघवाल निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनू।
5. गोपाल सिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनू।
6. दलीप सिंह पुत्र तख्त सिंह जाति राजपूत निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनू।
7. परबती देवी पत्नी इन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनू।
8. महेन्द्र सिंह पुत्र तख्त सिंह जाति राजपूत निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनू।
9. मीना कंवर पुत्री इन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनू।
10. रूप सिंह पुत्र तख्त सिंह जाति राजपूत निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनू।
11. शीला कंवर पुत्री इन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनू।
12. सुन्दर सिंह पुत्र तख्त सिंह जाति राजपूत निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनू।
13. हरपाल सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनू।
14. नाहर सिंह पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनू।
15. मदन सिंह पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनू।
16. विजेन्द्र सिंह पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनू।
17. श्यामकोर पत्नी श्रवण जाति जाट निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनू।
18. सुमन पुत्री श्रवण जाति जाट निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनू।
19. ईवराज सिंह पुत्र प्रेम सिंह जाति राजपूत निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनू।
20. ओम कंवर पत्नी प्रेम सिंह जाति राजपूत निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनू।
21. कौशलया कंवर पुत्री रणजीत सिंह जाति राजपूत निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनू।
22. दूर्गा कंवर पुत्री रणजीत सिंह जाति राजपूत निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनू।
23. भैरू सिंह पुत्र प्रेम सिंह जाति राजपूत निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनू।
24. भीम सिंह पुत्र किशोर सिंह जाति राजपूत निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनू।
25. रूप कंवर पत्नी किशोर सिंह जाति राजपूत निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनू।
26. विजय सिंह पुत्र किशोर सिंह जाति राजपूत निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनू।
27. सुरेन्द्र सिंह पुत्र प्रेम सिंह जाति राजपूत निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनू।
28. हीर कंवर पत्नी रणजीत सिंह जाति राजपूत निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनू।
29. आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड शाखा नीमराना जिला अलवर।



उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुझुनू)

30. आई० डी०बी०आई० बैंक लिमिटेड शाखा टोडी।

31. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा केंड।

32. पंजाब नेशनल बैंक शाखा गुडामीडजी।

33. तहसीलदार जरिये लेण्ड होल्डर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्डुनू।

6. लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्डुनू।

7. कारपोरेशन बैंक शाखा टोडी जरिये शाखा प्रबन्धक कारपोरेशन बैंक शाखा टोडी तह उदयपुरवाटी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ० धारा 251 (क) रा० का० अधिनियम


निर्णय दिनांक 19.08.2021


प्रार्थी ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अ० धारा 251 (क) इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम खटकड पटवार हल्का की केंड की सरहद में वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 439 रकबा 3.6800 हेक्टर अवस्थित है जो कि प्रार्थी की 1/15 हिस्से एवं कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। उक्त वर्णित भूमि में कृषि कार्यो व आवागमन हेतु ग्राम बामलास के भूमि खसरा नम्बर 1066, 1067 तथा ग्राम खटकड के भूमि खसरा नम्बर 437, 438, 439 में पूर्वजों के समय से ही पगडण्डी रास्ता बना हुआ है जो आज भी मीका पर चालु है। जिसे प्रार्थना पत्र के सलग्न नजरी नक्शा में दर्शाया गया है। लेकिन उक्त रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं होने के कारण आए दिन पक्षकारों में विवाद उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए भूमि खसरा नम्बर 1066 ग्राम बामलास में स्थित मुख्य सडक से भूमि खसरा नम्बर 439 ग्राम खटकड तक रास्ता कायम किया जाना प्रार्थनीय है।

प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के आलावा न्युन्तम दुरी पर अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी का उक्त प्रस्तावित रास्ते के आलावा प्रार्थी की भूमि में कोई वैकल्पिक एवं लघुतम रास्ता कोई नहीं लगता है तथा प्रार्थी को आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ते की अति आवश्यकता है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण जब मर्जी आए इसे बंद कर देते है, इस कारण श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। उक्त भूमि बैंक के रहन होने के कारण अप्रार्थी न० 29 लगायत 32 को पक्षकार बनाया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 33 को भूमिधारक होने के कारण पक्षकार बनाया है गया है।

अन्त में निवेदन किया है कि प्रार्थी की ग्राम खटकड पटवार हल्का केंड में स्थित अपनी कब्जाकाश्त एवं खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 439 में आवागमन हेतु ग्राम बामलास के भूमि खसरा नम्बर 1066, 1067 एवं ग्राम खटकड के भूमि खसरा नम्बर 437, 438, 439 में से सलग्न नजरी नक्शानुसार लाल स्याही से दर्शाए गये रास्ते को राजकीय रास्ता कायम किया जाना एवं राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन किये जाने के आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अनावेदकगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 28 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर आए तथा इकबालिया जबाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि उन्हें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई एतराज आपर्ण नहीं है तथा उक्त रास्ता राजकीय कायम किये जाने पर समायोजित होने वाली भूमि को निशुल्क देने


उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्डुनू)




तत्पर है। अप्रार्थीगण संख्या 29 लगायत 33 बावजूद तामील न्यायालय में हाजिर नहीं आए अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार उदयपुरवाटी से मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 02.08.2021 को प्राप्त।

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम खटकड़ पटवार हल्का की केड की सरहद में वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 439 रकबा 3.6800 हैक्टर अवस्थित है जो कि प्रार्थी की 1/15 हिरसें एवं कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। उक्त वर्णित भूमि में कृषि कार्य व आवागमन हेतु ग्राम बामलास के भूमि खसरा नम्बर 1066, 1067 तथा ग्राम खटकड़ के भूमि खसरा नम्बर 437, 438, 439 में पूर्वजों के समय से ही पगडण्डी रास्ता बना हुआ है जो आज भी मौका पर चालु है, का उपयोग करते है। जिसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया गया है। लेकिन उक्त रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं होने के कारण आए दिन पक्षकारों में विवाद उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए भूमि खसरा नम्बर 1066 ग्राम बामलास में स्थित मुख्य सड़क से भूमि खसरा नम्बर 439 ग्राम खटकड़ तक रास्ता कायम किया जाना प्रार्थनीय हैं। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के आलावा न्युन्तम दुरी पर अन्य कोई रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थी की ग्राम खटकड़ पटवार हल्का केड में स्थित कब्जाकाश्त एव खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 439 में आवागमन हेतु ग्राम बामलास के भूमि खसरा नम्बर 1066, 1067 एवं ग्राम खटकड़ के भूमि खसरा नम्बर 437, 438, 439 में से तहसीलदार उदयपुरवाटी से प्राप्त मौका फर्द के संलग्न राजस्व नक्शा में लाल स्याही से प्रस्तावित रास्ते को राजकीय रास्ता कायम किया जाना एवं राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन किये जाने के आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 28 ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई एतराज आपत्ति नहीं है तथा उक्त रास्ता राजकीय कायम किये जाने पर समायोजित होने वाली भूमि को निशुल्क देने को तत्पर है।

पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज, तहसीलदार उदयपुरवाटी से दिनांक 02.08.2021 को प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये ग्राम खटकड़ पटवार हल्का केड की सरहद में स्थित अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 439 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 28 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1066, 1067(ग्राम बामलास), 437, 438, 439(ग्राम खटकड़) में से 4 मिटर चौड़ा रास्ता चाहा था। जिसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया गया है। पत्रावली पर मौजूद तहसीलदार उदयपुरवाटी से दिनांक 02.


उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्डुनै)



08.2021 को प्राप्त फर्द मौका के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थी द्वारा भूमि खसरा नम्बर 439 में आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 1066, 1067(ग्राम वामलास), 437, 438, 439(ग्राम खटकड) में से लाल स्याही से दर्शाए गये रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता न्यूनतम दुरी का मौजूद नहीं है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है। बहस के दौरान उभयपक्षकारान ने अवगत करवाया कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्त को राजकीय कायम किये जाने पर रास्ते में समायोजित होने वाल भूमि को निशुल्क देने को तैयार है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम खटकड पटवार हल्का केड की सरहद में स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 439 में आवागमन हेतु तहसीलदार उदयपुरवाटी से दिनांक 02.08.2021 को प्राप्त फर्द मौका जांच के सलंगन नजरी नक्शा में लाल स्याही से प्रस्तावित किये गये रास्ते को राजकीय रास्ता कायम किया जाता है। प्रार्थी से रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि के बदले प्रतिफल नहीं लिया जावे क्यो कि अप्रार्थीगण उक्त रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि को निशुल्क देने को तत्पर है। तहसीलदार उदयपुरवाटी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त 4 मीटर चौड़ा रास्ता को राजस्व रिकार्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करते हुए नक्शा ट्रेस में भी अंकित करें। तहसीलदार उदयपुरवाटी से दिनांक 02.08.2021 को प्राप्त फर्द मौका रिपोर्ट मय नक्शा इस आदेश का हिस्सा रहेगी।

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (सुन्दर)

निर्णय आज दिनांक 19.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (सुन्दर)